

फाइलिंग नंबर 370 / 2014
न्यायालय:—प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म.प्र.)
समक्ष—आनन्द प्रिय राहुल

फाइलिंग नंबर 165 / 2014
सत्र प्रकरण क्रमांक 174 / 2014
संस्थित दिनांक 13.10.2014
अपराध क्रमांक—186 / 2014

म.प्र. राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अभियोगी।

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र शंकरसिंह यादव, आयु 67 साल,
2. रूमालसिंह पुत्र शंकर सिंह यादव, आयु 52 साल,
3. जगभानसिंह पुत्र भगवानसिंह यादव, आयु 35 साल,
4. कल्ला पुत्र बारेलाल यादव, आयु 28 साल,
निवासीगण— ग्राम बक्सनपुर, थाना पिपरई,
जिला अशोकनगर, म.प्र.

..... अभियुक्तगण।

न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 547 / 2014
में पारित उपापेक्षित आदेश दिनांक 10.10.2017 से उद्भूत यह सत्र प्रकरण।

अभियोजन की ओर से	:—	श्री आशुतोष लोधी, अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण	:—	श्री एस.के.शर्मा, अधिवक्ता।

:: निर्णय:

(आज दिनांक 29.08.2017 को घोषित किया गया।)

1. पुलिस थाना पिपरई से उत्तर-दक्षिण दिशा में 08 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बक्सनपुर में फरियादी रनवीर सिंह यादव के मकान पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग से जलाकर शारारिक क्षति कारित की, जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित हुई व उक्त अपराध जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय है, कारित करने के आशय से उसके आवासीय भवन में प्रवेश कर आपाधिक गृह अतिचार कारित किया व

रनवीर सिंह के आवासीय भवन को आग से जलाकर नुक्सान कारित कर रिष्टि कारित की व उसे अश्लील गालियां उच्चारित की, जिससे उसे या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ। जो कि धारा 302, 449, 436, 294 भा.द.वि. के अभियुक्तगण पर आरोप हैं।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक रनवीर सिंह की मां ने खेरा जगभान सिंह के विक्रय किया था, का तथ्य प्रकरण में स्वीकृत है। खेरे में ही कथित मकान जिसमें आग लगी थी व जलने से मृतक रनवीर सिंह की मृत्यु हुई थी।

3. अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, फरियादी रनवीर सिंह द्वारा दिनांक 22.06.2014 को सुबह करीब 9 बजे अपने घर (उसारे) में रोटी बना रहा था उसी समय उसके घर गांव के जगभानसिंह, भगवानसिंह यादव, रुमालसिंह यादव व कल्ला यादव आए। जगभान ने उससे बोला कि हमने तेरे भइया रामकुमार से खैरा ले लिया है। अब घर खाली कर दे, उसने कहा कि जमीन मेरी है, मैं खाली नहीं करूंगा। सोई चारों उसे मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे उसने कहा कि गाली मत दो, सोई जगभान ने उसके उसारे में रखी मिट्टी के तेल की केन उठाकर उसमें भरा मिट्टी का तेल उसके ऊपर उड़ेल दिया भगवानसिंह ने उसे जान से मारने की नियत से माचिस की तीली जलाकर उसमें आग लगा दी, जिससे वह कमर के ऊपर पेट, पीठ, दोनों हाथ व चेहरा जलकर खाल निकल गई है। उसका घर भी जल गया है। वहां पर शिवनारायण यादव भी था जिसने पानी डालकर आग बुझाई, फिर वह शिवनारायण के साथ मोटर सायकल पर बैठकर रिपोर्ट करने थाने आया है। फरियादी रनवीर सिंह की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पिपरई में अपराध क्रमांक 186/14, अंतर्गत धारा- 307, 436, 294, 451, 34 प्रदर्श पी-17 प्रथम सूचना रिपोर्ट रामकुमार परिहार (अ.सा.9) द्वारा लेखबद्ध की गई व फरियादी रनवीर के कथन धारा 161 प्रदर्श पी-18 उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किए व फरियादी का मुलाहिजा फार्म पी-24 तैयार कर चिकित्सा परीक्षण व उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अशोकनगर भेजा गया व रनवीर सिंह के मरणासन्न कथन लेखबद्ध करने हेतु तहसीलदार अशोकनगर को आवेदनपत्र प्रदर्श पी-15 भेजा था।

4. विवेचना के दौरान विवेचक ने देशराज की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 बनाया व साक्षी देशराज सिंह, शिवनारायण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए, घटना स्थल से जली हुई राख, प्लास्टिक की केन, आधा फटा हुआ ढक्कन,

जला हुआ प्लास्टिक का पाइप जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-12 बनाया गया व अभियुक्तगण के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मैमोरेडम लेखबद्ध किये जाकर, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। विवेचक ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंदेरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, आदेश दिनांक 10.10.2014 अनुसार मामला उपार्पित हुआ था। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 24.04.2017 को पारित आदेशानुसार मामला इस न्यायालय में अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. रखे गये आरोप को अभियुक्तगण ने तत्समय अस्वीकार किया था। धारा 313 दं.प्र.सं. के अधीन की गई परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण का बचाव कथन यही रहा कि, वह वास्तव में निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फसाया गया है। बचाव साक्षी के रूप में अनेकसिंह यादव (ब.सा.1) तथा मृतक की मां श्रीमती रामकलीबाई (ब.सा.2) के अभिकथन कराए गए हैं।

6. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

1. क्या दिनांक 22.06.2014 को सुबह 9 बजे ग्राम बक्सनपुर में फरियादी रनवीर सिंह यादव के मकान पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग से जलाकर शारारिक क्षति कारित की, जिसके कारण उसकी मृत्यु कारित हुई?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रनवीर सिंह यादव की हत्या, जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, कारित करने के आशय से उसके आवासीय भवन में प्रवेश कर आपाधिक गृह अतिचार कारित किया?
3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रनवीर सिंह यादव को नुकसान कारित करने के आशय से उसके आवासीय भवन को आग से जलाकर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर रनवीरसिंह को अश्लील गालियां उच्चारित की, जिससे उसे या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ?

निष्कर्ष के आधार

7. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के.शर्मा ने अपने तर्क में निवेदन किया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उसमें महत्वपूर्ण साक्षी देशराजसिंह (अ.सा.1) ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि मृतक रनवीर उसके छोटे भाई का लड़का था। जेठ के महिने की बात है, 10-11 महिने हो चुके हैं। रनवीर की मां ने जगभानसिंह यादव को जमीन बेच दी थी। रनवीर सिंह ने अपनी मां से जमीन बेचने के लिए मना किया था, मां नहीं मानी, मां ने जमीन बेच दी थी। वह घटना स्थल पर पहुंचा तब

अभियुक्तगण ने उसके भतीजे के साथ कुछ नहीं किया। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। साक्षी ने अपने कूट परीक्षण में अभिकथन दिया है कि यह सही है कि वह घटना वाले दिन अपने घर गुम्मा रख रहा था। यह बात सही है कि रनवीर के घर से चिल्लाचोट की आवाज सुनाई दी थी। यह सही है कि वह रनवीर के घर दौड़कर पहुंचा था, रनवीर का घर जल रहा था और रनवीर भी जल रहा था। यह सही है कि रनवीर जलने के कारण इधर-उधर भाग रहा था। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इसी प्रकार का अभिकथन शिवनारायण (अ.सा.2) ने दिया है। दोनों अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी हैं, जिनके अभिकथन से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं हुई है।

8. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन साक्षी चन्द्रपाल सिंह (अ.सा.3) तथा कल्याणसिंह (अ.सा.4) को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से मृतक जगभान की मां श्रीमती रामकलीबाई का भी अभिकथन नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव साक्षी के रूप में अनेकसिंह यादव (ब.सा.1) तथा श्रीमती रामबाई (ब.सा.2) ने अभिकथन दिए हैं कि अभियुक्तगण उनके गांव के हैं। लड़का रनवीरसिंह खत्म हो गया है, तीन साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, रनवीरसिंह आग लगाकर खत्म हो गया है। उसने अपना खेरा अभियुक्त जगभान को बेचा था। वह पानी भरने के लिए गई थी। वह खैरे में कब्जा करने आया था, तब उसके लड़के रनवीरसिंह ने उसी घर में घुसकर अपने आग लगा ली थी व जगभान को कब्जा नहीं करने दिया था। कल्ला एवं रूमालसिंह से अलग रहते हैं। कल्ला और रूमाल, जगभान के भाई हैं। जो उसके परिवार के हैं। उसके मोड़ा ने इन लोगों को फसा दिया है, उसने झूठा फसाया है। इसी प्रकार के अभिकथन अनेकसिंह यादव (ब.सा.2) ने दिए हैं। इन दोनों बचाव साक्षीगण के इन अभिकथनों से अभियोजन साक्षी देशराजसिंह (अ.सा.1) व शिवनारायण (अ.सा.2) के अभिकथन के कथन की पुष्टि हुई है कि मृतक रनवीर सिंह ने स्वयं अपने मकान में आग लगा ली थी और मकान की आग बुझाने में वह जल गया था, अभियुक्तगण को उसने झूठा फंसाया है।

9. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन की ओर से जिन महत्वपूर्ण साक्षीगण के अभिकथन कराए गए हैं, उन महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षियों के अभिकथन से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न की पुष्टि नहीं हुई है। प्रकरण में मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 मृतक के बताए

अनुसार उसकी भाषा में नहीं लिखा गया है। मृतक का जो मृत्युकालिक कथन लिखा गया है उसमें चिकित्सक की कोई टीप अंकित नहीं है कि मृतक मृत्युकालिक कथन देने के समय होश-हबाश में रहा है, इस प्रकार की टीप चिकित्सक से अंकित करवाया जाना चाहिए थी, जो कि आलोक वर्मा (अ.सा.7) के द्वारा अंकित नहीं करायी गयी है। मृत्युकालीन कथन की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, इस साक्षी ने अपने अभिकथन की कंडिका 3 के मध्य में अभिकथन दिया है कि मरणासन्न कथन लेने के समय कोई डाक्टर मौजूद नहीं था व उसने रनवीर के मरणासन्न कथन लेने के पूर्व चिकित्सक से अनुमति नहीं ली। उसने किसी चिकित्सक से इस बात का प्रमाण पत्र नहीं लिया कि रनवीर बयान देने के लिए सक्षम है या नहीं। यह सही है कि प्रदर्श पी-16 के अंत में उसने किसी चिकित्सक से प्रमाण पत्र नहीं लिया कि रनवीर पूरे समय होश-हबाश में था और बयान देने के लिए सक्षम था। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विधिक प्रक्रिया का पालन मृत्युकालिक कथन लेने के समय नहीं किया गया है। जब मृतक मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में ही नहीं था तो, फिर उसके मृत्युकालिक कथन कैसे लिए गए, इस बाबत प्रकरण में आलोक वर्मा (अ.सा.7) ने अपने अभिकथन में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बताया है। मृत्यु कालिक कथन कितने बजे लेना प्रारंभ किया गया व कितने बजे समाप्त हुआ था, इस बाबत भी प्रदर्श पी-16 में मृत्युकालिक कथन लेने वाले अधिकारी ने किसी महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख नहीं किया है।

10. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृत्युकालिक कथन आलोक वर्मा (अ.सा.7) ने विधिवत रूप से लेखबद्ध नहीं किए थे। मृत्युकालिक कथन मृतक द्वारा दिए ही नहीं गए थे, मात्र उस पर उसका निशानी अंगूठा जो वह लगाने में सक्षम नहीं था, किसका व कैसे लगवाया गया, इस बाबत प्रकरण में आलोक वर्मा (अ.सा.-7) ने अपने अभिकथन में कोई स्पष्ट तथ्य नहीं बताया है, जिसके अभाव में मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 मृतक के बताए अनुसार लेखबद्ध किए जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है।

11. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि डा. संतोष रघुवंशी (अ.सा.6) ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि, प्रदर्श पी-14 की रिपोर्ट में उसने मरीज का बी.पी. लेख नहीं किया है, स्वतः कहा कि उसने मरीज का ब्लड प्रेशर उस समय लिया था, फिर प्रदर्श पी-14 की रिपोर्ट में क्यों नहीं लेख किया, इस बाबत कोई तथ्य अपने अभिकथन में नहीं बताया है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वास्तव में यदि मृतक इस साक्षी के समक्ष इलाज हेतु लाया गया होता तो, इस साक्षी को मरीज से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहिए था। इस साक्षी ने यह बताया है कि यह सही है कि मरीज किस चीज से जला है, उसे मरीज से उसकी हिस्ट्री पूछना

चाहिए थी, जो कि नहीं पूछी है। यदि मरीज मिट्टी के तेल से जला होता तो, यह साक्षी अपने अभिकथन में यह भी बताता कि परीक्षण के समय उसके शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। स्वतः कहा कि, मिट्टी के तेल की गंध होती तो, उसका उल्लेख प्रदर्श पी-14 रिपोर्ट में अवश्य करता। आहत मेडिकल परीक्षण के समय होश में था, इस तथ्य का उल्लेख भी प्रदर्श पी-14 की रिपोर्ट में क्यों नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि, वास्तव में मिट्टी का तेल अभियुक्तगण ने डालकर मृतक को आग नहीं लगायी थी, यदि मिट्टी का तेल डालकर आग लगायी होती तो, डा.संतोष रघुवंशी (अ.सा.6) को जब उसने आहत का चिकित्सा परीक्षण किया था तब उसे मिट्टी के तेल की गंध आना चाहिए थी, जो गंध उसके द्वारा परीक्षण के समय नहीं पायी थी।

12. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, मैमोरेडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी-8 व प्रदर्श पी-9 में जो इबारत लेख है कि उसे गुस्सा आयी उसने उसके घर से मिट्टी के तेल से भरी कैन उसके ऊपर उड़ेल दी व उसके पिता भगवानसिंह ने माचिस की तीली जलाकर उसमें आग लगा दी। यह इबारत उनके बताए अनुसार लेख की गई होती तो भगवानसिंह ने तीली जलाकर उसमें आग लगा दी थी, की पुष्टि बाबत भगवानसिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का कथन नहीं लिया गया है। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदर्श पी-8 का मैमोरेडम अभियुक्त रूमालसिंह का, प्रदर्श पी-9 का मैमोरेडम अभियुक्त जगभान का व प्रदर्श पी-10 का मैमोरेडम अभियुक्त कल्ला उर्फ रामवीरसिंह का लेखबद्ध किया गया है।

13. राजवीर सिंह अ.सा-8 ने मैमोरेडम प्रदर्श पी-8 रूमालसिंह का, प्रदर्श पी-9 जगभान का व प्रदर्श पी-10 का कल्ला उर्फ रामवीर का मैमोरेडम कथन लेखबद्ध किये थे। इस साक्षी ने गवाहों के समक्ष यदि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मैमोरेडम प्रदर्श पी-8, पी-9, पी-10 लेखबद्ध किए होते तो, उसकी पुष्टि जिन साक्षीगण के समक्ष मैमोरेडम कथन लेखबद्ध किए गए, उनके अभिकथन से पुष्टि होना चाहिए, जो कि नहीं हुई है। अभियोजन साक्षी कल्याणसिंह (अ.सा.4) ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की, उसके केवल हस्ताक्षर करवा लिए थे। पुलिस को उसके सामने अभियुक्त रूमाल, जगभानसिंह, कल्ला ने कुछ नहीं बताया था। मैमोरेडम प्रदर्श पी-8 लगायत प्रदर्श पी-10 पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है। मैमोरेडम के दूसरे साक्षी का प्रकरण में

अभियोजन की ओर से अभिकथन नहीं कराया गया है।

14. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, यदि वास्तव में मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाई गई होती तो, जिस माचिस से आग लगायी थी वह जप्त की जाना चाहिए थी, जो कि जप्त नहीं की गई है व जिस अभियुक्त ने माचिस से आग लगायी थी उसका मैमोरेडम कथन क्यों लेखबद्ध नहीं किया गया और माचिस जप्त क्यों नहीं की गई। इस बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। जब माचिस ही जप्त नहीं हुई तब आग लगाए जाने के तथ्य की पुष्टि होना कैसे मानी जा सकती है।

15. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदर्श पी-1 का जो नक्शा मौका बनाया गया है, उसमें घटना स्थल की स्थिति नहीं दर्शायी गई है। यदि घर में आग लगायी थी तो, आग के जलने से घर की क्या स्थिति रही थी, इस बाबत कोई तथ्य वर्णित नहीं किया है। विवेचक ने घटना स्थल के आसपास किस-किस के मकान है, इस बाबत भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। घटना स्थल के पास में हेंडपंप है, हेंडपंप को नक्शा मौका में नहीं दर्शाया गया है। घटना स्थल के नक्शा मौका में मौके की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शायी गयी है। घटना स्थल का नक्शा मौका बिना मौके पर जाए, बनाया गया प्रतीत होता है।

16. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, कथन धारा 161 प्रदर्श पी-18 व मरणासन्न कथन प्रदर्श पी-16 में वर्णित तथ्यों की पुष्टि अभियोजन की ओर से पेश की साक्ष्य से नहीं हुई है। जब मृतक मृत्युकालिक कथन देने की स्थिति में ही नहीं था फिर मृत्युकालिक कथन मृतक कैसे लिए गए व धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन कैसे लेखबद्ध किए गए, इस बाबत अभियोजन की ओर से कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

17. डा.सी.एस.जैन (अ.सा.11) जिसके द्वारा मृतक रनवीर का शव परीक्षण किया गया है, जिसके अभिकथन की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया गया कि इस साक्षी ने अपने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि, यदि कोई अन्य व्यक्ति ने मृतक पर तेल डाला होता या आग लगायी होती तो, ऐसी चोट नहीं आ सकती थी। जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में मृतक ने स्वयं आग लगाकर मृत्यु कारित की और जैसा कि अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य आयी है कि मृतक की मां ने खैरा जगभान को बेच दिया था, जिसे मृतक नहीं बेचने देना चाहता था और मृतक ने मृत्यु के पूर्व मां से कहा था कि मां व अभियुक्तगण को वह स्वयं को आग लगाकर फसा देगा, जिसकी पुष्टि बाबत अभियोजन की ओर से ही स्वतंत्र साक्षी देशराज सिंह (अ.सा.1) का अभिकथन कराया है, जिसने भी अपने अभिकथन की

कंडिका 2 में इस बात की पुष्टि करते हुए अभिकथन दिया है कि रनवीर ने मां से कहा कि तू नहीं मान रही है तो, मैं आग लगाकर खतम हो जाता हूँ, तुम्हे और जगभानसिंह को बताता हूँ, जिसकी पुष्टि करते हुए, मृतक की मां रामकलीबाई (ब.सा.2) ने भी अपने अभिकथन में बताया है कि अभियुक्त जगभान के नाम से रजिस्ट्री हुई थी वह खैरे में कब्जा करने आया था तब उसके लडके रनवीर ने उसी घर में घुसकर अपने आपको आग लगा ली, वह जगभान को कब्जा नहीं करने दे रहा था। कल्ला एवं रूमाल सिंह जगभान सिंह से अलग रहते हैं। कल्ला व रूमाल जगभान के भाई हैं, वे उसके परिवार के हैं। उसके मोड़ा ने इन लोगों को फसा दिया है, उसने झूठा फसाया है।

18. अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वास्तव में स्थिति स्पष्ट किए जाने हेतु जो मिट्टी के तेल की कट्टी थी, उसे राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा जाना चाहिए था, जिससे स्पष्ट हो जाता कि उस पर पकड़ने के समय उंगलियों के निशान बने थे, वह किसके थे, जिसके बाबत विवेचना के दौरान जांच हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदर्श पी-26 की जो राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट है, उसमें प्लास्टिक की केन में मिट्टी का तेल परीक्षण के समय पाया था, वह कौनसी केन थी व मिट्टी का तेल उसमें से जब पूरा उडेल दिया था तो, शेष मिट्टी का तेल बचा था या नहीं। यदि नहीं बचा था तो फिर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु केन व मिट्टी का तेल परीक्षण हेतु कैसे भेजा गया था। इस बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप व विचारणीय प्रश्नों की पुष्टि नहीं हुई है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं के आरोप से दोष मुक्त किया जावे।

19. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री राजपूत ने अपने तर्क में निवेदन किया कि, मृतक रनवीर की मृत्यु आग लगने से हुई है। जब अभियुक्तगण उसके घर पर कब्जा करने गए थे तब विवाद होने पर उसके उसारे में रखी हुई मिट्टी के तेल की कट्टी जगभानसिंह ने उस पर उडेल दी थी व भगवान सिंह ने उसे मारने के आशय से माचिस की तीली से आग लगाकर जलाया था। मिट्टी के तेल से जलने से मृतक रनवीर की मृत्यु हुई थी। इसकी पुष्टि बाबत प्रकरण में अभियोजन की ओर से पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने यह भी निवेदन किया कि न्यायालय को भा.दं.वि. की धारा 302 के विकल्प में धारा 306 का आरोप भी विरचित करना चाहिए था, जो कि विरचित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को भा.दं.वि. की धारा 302 सपठित धारा 306 के आरोप में दंडित किया जावे।

20. उभयपक्ष के द्वय विद्वान अधिवक्ता व अतिरिक्त लोक अभियोजक के तर्क श्रवण के पश्चात् अभिलेख पर आयी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षी देशराज (अ.सा.1) का कथन विवेचक ने उसके बताए अनुसार प्रदर्श पी-3 का लेखबद्ध किया था। इस प्रदर्श पी-3 के कथन में लिखा है कि— वह दौड़कर रनवीर के घर पर पहुंचा, देखा रनवीर का घर जल रहा था व घर के बाहर जलने से वह इधर-उधर भाग रहा था। इस साक्षी ने आगे अपने अभिकथन की कंडिका 2 में अभिकथन दिया है कि रनवीर ने अपने मकान में आग लगा ली थी और वह उसके मकान की आग बुझाने लगा तो मकान की आग रनवीर में लग गई, जिससे आग से रनवीर जल गया। उसे खबर पड़ी थी तब वह ईंट ढो रहा था, तब वह घटना स्थल पर पहुंच गया था। इस साक्षी ने अपने अभिकथन की कंडिका 4 में बताया है कि यह सही है कि रनवीर के घर से चिल्लाचोट की आवाज सुनी थी। यह सही है कि तब वह दौड़कर रनवीर के घर पहुंचा था। यह सही है कि रनवीर का घर जल रहा था और रनवीर भी जल रहा था। यह सही है कि रनवीर जलने के कारण इधर-उधर भाग रहा था। इस साक्षी ने यह कहीं नहीं बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब उसके पहले और कोई मौके पर आ गया था।

21. शिवनारायण (अ.सा.2) ने अपने अभिकथन की कंडिका 1 के मध्य में बताया है कि घटना के दिन वह हेंडपंप पर पानी भर रहा था, उस समय सुबह के 9 बजे थे, हेंडपंप स्कूल के पास है। रनवीर अपने टपरे में खाना बना रहा था तब ही टपरे में आग लग गई थी, जिससे रनवीर जल गया था। फिर रनवीर की आग बुझाकर वह तथा पप्पू उर्फ मोहनसिंह रनवीर को मोटर साकयल पर बिठाकर पिपरई थाने ले गए थे।

22. यदि देशराज (अ.सा.1) मौके पर आया होता तो, यह साक्षी शिवनारायण अ.सा-2 अपने पुलिस कथन व न्यायालय में दिए गए अभिकथन में इस बावत् बताता, जिस बाबत उसने अपने अभिकथन में कोई तथ्य नहीं बताये हैं। इन दोनों साक्षीगण के अभिकथनों इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि, रणवीर अपने टपरे में खाना बना रहा था तब ही टपरे में आग लगी थी, टपरे की आग फिर रनवीर पर लग गयी थी, जिससे रनवीर जल गया था। इन दोनों साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। यह अभियोजन के महत्वपूर्ण

साक्षी थे, जिनके अभिकथन से पुलिस कथन प्रदर्श पी- 3 व पी-4 में ए से ए भाग में वर्णित तथ्य की पुष्टि, इन साक्षियों के न्यायालय में दिए गए अभिकथन से नहीं हुई है। यदि विवेचक रामकुमार परिहार (अ.सा.9) ने इन साक्षियों का कथन उनके बताए अनुसार लेख किये होते तो, पुलिस कथन प्रदर्श पी- 3 व पी-4 में वर्णित तथ्य की पुष्टि, इन साक्षियों के अभिकथन से होना चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है।

23. यह कि मैमोरेडम प्रदर्श पी-8, पी-9, पी-10 के साक्षी कल्याण (अ.सा.4) का अभियोजन की ओर से अभिकथन कराया गया है। इस साक्षी ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह किसी भी अभियुक्त को नहीं जानता है। उसके सामने पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, केवल हस्ताक्षर करवाए थे। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 लगायत पी-7 पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। पुलिस को उसके सामने अभियुक्तगण ने कुछ नहीं बताया था। मैमोरेडम प्रदर्श पी-8 लगायत पी-10 पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। मैमोरेडम धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैमोरेडम में वर्णित तथ्य की पुष्टि अभियोजन की ओर से पेश किए गए इस स्वतंत्र साक्षी के अभिकथन से नहीं हुई है व इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित किया गया है। जिससे स्वतंत्र साक्षी के अभिकथन से कि, अभियुक्तगण का विवेचक ने विवेचना के दौरान धारा 27 साक्ष्य अधिनियम 1872 के मैमोरेडम उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए थे, के तथ्य की पुष्टि न्यायालय के मत में अभिलेख पर आयी स्वतंत्र साक्षीगण के कथन से नहीं हुई है।

24. अभियोजन साक्षी राजवीर सिंह अ.सा-8 द्वारा अभियुक्त रुमाल सिंह, जगभान सिंह, कल्ला उर्फ रामवीर सिंह से पूछताछ की थी तब उन्होंने अपने अभिकथन में बताया था कि वह रनवीर सिंह के घर गये जमीन खाली कराने पर से रनवीर गाली देने लगा। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, पुलिस कथन प्रदर्श पी-18 में इसके विपरीत यह तथ्य लिखा है कि उसने (मृतक रनवीर) कहा कि जमीन उसकी है खाली नहीं करूंगा, सोई चारों उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे, उसने कहा कि गाली मत दो। जिससे स्पष्ट है कि विवेचक राजवीर सिंह अ.सा-8 ने अपने अभिकथन में यह तथ्य कि रनवीर गाली देने लगा, का प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-17, पुलिस कथन प्रदर्श पी-18 में वर्णित तथ्य के विपरीत अभिलेख पर तथ्य लाया गया है।

25. विवेचक राजवीर सिंह अ.सा-8 ने आगे अपने अभिकथन में बताया है कि अभियुक्तगण ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम में कथन लिया था कि गाली देने से मना किया तो जगभान सिंह ने मिट्टी के तेल से भरी कैन रनवीर के उपर डाल दी, भगवान सिंह ने माचिस लगा दी। सर्वप्रथम तो मिट्टी के तेल की कैन अभियुक्तगण अपने साथ लेकर नहीं गये थे। मिट्टी के तेल की कैन मृतक के घर में रखी थी इस बात की जानकारी अभियुक्तगण को थी इस तथ्य की पुष्टि बावत प्रकरण में अभियोजन की ओर से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु न तो कोई साक्ष्य पेश की गई और न विवेचक ने इस बावत कोई अभिकथन दिया है।

26. यदि थोड़ी देर के लिये यह मान लिया जाए कि जगभान सिंह ने मृतक के उपर मिट्टी के तेल से भरी कैन उड़ेल दी थी अपने आप तो मिट्टी के तेल में आग लगना संभव नहीं है। जिस माचिस की तीली से जिस व्यक्ति द्वारा आग लगाई गयी थी उस व्यक्ति का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मेमोरेण्डम का कथन विवेचक विवेचना के दौरान लिया जाना चाहिए था जो कि नहीं लिया गया। वह माचिस की काडी व माचिस भी विवेचक ने विवेचना के दौरान अभियुक्त भगवान सिंह से न तो जप्त की गई और न ही विवेचना के दौरान अभियुक्त भगवान सिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम लिया गया। जिससे स्पष्ट है कि आग जिस माचिस व माचिस काडी से लगायी गई थी वह माचिस किसकी थी, कहां से लायी गई थी, उसे जप्त क्यों नहीं किया गया और न ही उस माचिस की काडी को छानना स्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में दर्शाया गया है। जिससे न्यायालय के मत में अपराध की महत्वपूर्ण विषय वस्तु माचिस व माचिस की काडी से यदि आग लगायी गई होती तो उसे प्रकरण में अभियुक्तगण से जप्त किया जाना चाहिए था, जो कि जप्त नहीं की गई है। जिसके अभाव में अभियुक्तगण ने मिट्टी का तेल डालकर माचिस की काडी से मृतक रनवीर सिंह को आग लगायी गई थी, के तथ्य की पुष्टि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से नहीं हुई है।

27. यह कि मृतक रनवीर का मरणासन्न कथन प्रदर्श पी-16, जो कि आलोक वर्मा (अ.सा.7) के द्वारा लेखबद्ध किया गया है। यह अभियोजन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रदर्श पी-16 के मरणासन्न कथन के क्रमांक 2 में यह पूछने पर कि, तुम कैसे जल गए?, जिसका उत्तर दिया कि, गांव वालों ने घर में घुसकर आग लगा दी है, आज सुबह 9 बजे जला दिया। इस प्रश्न के उत्तर में जो यह महत्वपूर्ण तथ्य कि, उसे आग किसने लगायी है, का उसके बताने के आधार पर आना चाहिए था, जो नहीं आया है। फिर मरणासन्न कथन जिस अधिकारी ने लिया है, उसके द्वारा अपनी तरफ से यह पूछने पर कि, तुम्हें किसी ने जलाया तो नहीं है।

जबकि इस प्रश्न का उत्तर यह आ चुका था कि गांव वालों ने घर में घुसकर आग लगायी है, तब फिर यह प्रश्न क्यों पूछा गया कि तुम्हें किसी ने जलाया तो, नहीं है, उसका यह उत्तर दिया कि, जगभानसिंह, शंकरसिंह, कल्ला, रुमालसिंह यादव निवासी बक्सनपुर ने जलाया है, का आया है। फिर इस प्रश्न के उत्तर में एक नाम शंकरसिंह का आया है। शंकरसिंह ने अन्य अभियुक्तगण के साथ उसे मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, का उल्लेख न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 में है और न ही आहत के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी-18 में है। जब मृत्युकालिक कथन में भगवान सिंह का नाम नहीं आया था तो फिर प्रकरण में उसे कैसे अभियुक्त बनाया गया इस बावत भी विवेचक ने अपने अभिकथन में कोई तथ्य नहीं बताया है।

28. विवेचक रामकुमार परिहार (अ.सा.9) ने अपने मुख्य परीक्षण में शंकरसिंह का कोई नाम नहीं बताया है कि शंकरसिंह ने मृतक के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर जला दिया था। शंकरसिंह को प्रकरण में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, इस बाबत भी रामकुमार परिहार (अ.सा.9) ने अपने अभिकथन में कोई तथ्य नहीं बताया है।

29.

30. घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में विवेचक ने घटना स्थल का जलने से जो स्थिति मकान की हुई थी, वह नहीं बतलायी गई है। घटना स्थल के पास में हैण्डपम्प है वह भी उसमें नहीं दर्शाया गया है। जबकि अभियोजन साक्षी शिवनारायण अ.सा-2 अपने अभिकथन में बताता है कि घटना के दिन वह हैण्डपम्प पर पानी भर रहा था हैण्डपम्प स्कूल के सामने है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में क्रमांक-2 पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय दर्शाया है, लेकिन हैण्डपम्प की स्थिति, लगा होने के बावत कोई उल्लेख नहीं किया है।

31. घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में जिस स्थान पर क्रमांक-1 में बी उसारे के सामने मिट्टी के तेल की कैन पड़ी है, का लिखा है। इस बावत रामकुमार परिहार अ.सा-9 ने अपने अभिकथन की कंडिका-7 में बताया है कि घटना स्थल का मानचित्र बनाने के समय उसने मौके से जली हुई राख, प्लास्टिक की कैन स्लेटी रंग की जिसमें 25 ग्राम केरोसिन था व केरोसिन की बदबू आ रही थी ढक्कन आधा फटा हुआ था एवं जला हुआ

प्लास्टिक का पाइप जप्त करके जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर बने हुए हैं। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना स्थल से जली राख एक प्लास्टिक की पन्नी में कपडा से शील्ड कर व एक जला हुआ प्लास्टिक का पाइप जिसकी लम्बाई करीब 6.6 फीट है जो एक तरफ जला हुआ है व कैन जप्त की थी।

32. यह सही है कि वर्तमान समय में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का विज्ञान काफी विकसित हो चुका है। ऐसी दशा में जो कैन जप्त की गई थी उस पर जिस व्यक्ति ने उसे उठाया था उस व्यक्ति के उस पर अंगुष्ठि चिन्ह बने हैं या नहीं इस बावत् विधिवत जांच करायी जाना चाहिए थी जो कि नहीं करायी गई है। यह भी विवेचना के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर कराया जाना चाहिए था, जो कि नहीं कराया गया है। इसी प्रकार जब मृतक खाना बना रहा था तो खाना स्टोप से बना रहा था या चूल्हे पर बना रहा था इस बावत् भी अभियोजन की ओर से कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है यह दोनों तथ्य ही अनसुलझे रहे हैं।

33. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु प्रदर्श ए में पालीथिन आवरण में अधजले लकड़ी के टुकड़े कोयला एवं राख जो परीक्षण हेतु भेजी गई थी इसे मौके से प्रदर्श पी-2 के सम्पत्ति जप्ती पत्रक के द्वारा जप्त नहीं किया गया है, क्यों नहीं किया गया इस बावत् विवेचक रामकुमार सिंह परिहार अ.सा-9 ने अपने अभिकथन में कोई तथ्य नहीं बताया है। मौके पर से जला हुआ पाइप प्लास्टिक का 6 फीट से अधिक लम्बा व जली हुई राख व प्रदर्श पी-26 की राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु अधजली लकड़ी के टुकड़े, कोयला एवं राख भेजी गई थी फिर मौके पर साबूत प्लास्टिक की कैन जिसमें कैरोसिन भरा था, कैसे विवेचक को मौके पर प्राप्त हुई थी, जो उसके द्वारा जप्त की गई। जबकि आग में प्लास्टिक की कैन जिसमें कैरोसिन था, उसे जल जाना चाहिए था, उस स्थिति में जबकि जिस उसारे से कैन जप्त की गई है, उसारा व ए स्थान व बी स्थान जो नक्शा मौका में बताये गये हैं वह घर जल रहा था, इस बावत् अभिकथन अभियोजन साक्षी देशराज यादव अ.सा-1 व श्री शिवनारायण अ.सा-2 ने अभिकथन दिया है। जब टपरा जल चुका था तब मिट्टी के तेल की कैन साबूत कैसे जप्त की गई उसे भी आग में जो टपरे में रखी थी अभियोजन के अनुसार जिस प्रकार की घटना है उस अनुसार उसे जल जाना चाहिए थी। जो कि साबूत जप्त की गई है।

34. जिससे स्पष्ट है कि घटना स्थल का नक्शा मौका, मौके की स्थिति के अनुसार

मौके पर जाकर बनाया गया प्रतीत नहीं होता है। घटना स्थल के पास में क्रमांक-3 पर गोविंद सिंह यादव का घर बना दर्शाया है, उसका कथन विवेचना के दौरान क्यों नहीं लिया गया इस बावत् भी विवेचक ने अपने अभिकथन में कोई तथ्य नहीं बताया है। शिवराज अ.सा-1 घटना स्थल पर चिल्ला चोंट की आवाज सुनकर पहुंचा था जैसा कि उसने अपने अभिकथन में बताया है फिर उस स्थान को भी घटना स्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में नहीं दर्शाया गया है जहां पर कि देशराज यादव अ.सा-1 ईंट ढोकर रख रहा था। जिससे स्पष्ट है कि घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में जिस स्थान पर अभियोजन साक्षी शिवनारायण यादव अ.सा-2 हैण्डपम्प से पानी भर रहा था जो घटना स्थल के पास में था जहां से उसने मृतक के टपरे में आग लगी देखी थी, उस स्थान को नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 में नहीं दर्शाया गया है। इसी प्रकार देशराज यादव अ.सा-2 जिस स्थान पर ईंटे ढोकर रख रहा था वह स्थान भी नहीं दर्शाया गया है। जिस स्थान से राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु अधजले लकड़ी के टुकड़े, कोयला को भी घटना स्थल के नक्शा मौका में भी नहीं दर्शाया गया है। जिससे न्यायालय के मत में विवेचक द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मौके की स्थिति अनुसार घटना स्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया गया है, के तथ्य की पुष्टि भी अभिलेख पर आयी साक्ष्य से हुई है।

35. अभियोजन साक्षी देशराज यादव अ.सा-1 ने अपने अभिकथन की कंडिका-2 के मध्य में अभिकथन दिया है कि रनवीर ने अपने मकान में आग लगा दी थी और उसके बाद मकान की आग बुझाने लगा तो मकान की आग रनवीर में लग गई उसकी आग से रनवीर जल गया फिर खबर पड़ी। इस अभिकथन की पुष्टि करते हुए शिवनारायण अ.सा-2 ने भी अपने अभिकथन की कंडिका-1 के मध्य में अभिकथन दिया है कि रनवीर अपने टपरा में खाना बना रहा था तभी टपरे में आग लग गयी, टपरे की आग फिर रनवीर पर लग गई थी जिससे रनवीर जल गया था फिर रनवीर की आग बुझाकर वह तथा पप्पू उर्फ मोहन सिंह रनवीर को मोटर साइकिल पर बिठाकर पिपरई थाने ले गये थे। शिवनारायण अ.सा-2 ने अपने कूट परीक्षण की कंडिका-2 के मध्य में सूचक प्रश्न पूछने पर अभिकथन दिया है कि यह सही है कि रनवीर अपने कमर से सिर तक आगे, पीछे जला हुआ था। यह जो अभिकथन दिया है कि रनवीर अपने कमर से सिर तक आगे पीछे जला हुआ था यदि उसे अभियुक्तगण द्वारा जलाया

गया होता तो यह साक्षी इस प्रकार का अभिकथन नहीं देता।

36. अभियोजन साक्षी देशराज यादव अ.सा-1, शिवनारायण अ.सा-2 ने जो अभिकथन दिया है उसकी पुष्टि बचाव साक्षी जो कि मृतक का भाई है श्री अनेक सिंह यादव बा.सा-1 ने अपने अभिकथन में बताया है कि रनवीर आग लगाकर मर गया। आपस में जमीन का विवाद होने से उसने अपने टपरे में आग लगा ली थी जिससे उसे भी आग लग गई थी। उस समय वह हैण्डपम्प पर पानी भर रहा था, वहां पर अभियुक्तगण नहीं थे। उसने पुलिस वालों को बताया था कि रनवीर ने आग लगा ली है लेकिन उन्होंने उसकी सुनी नहीं थी। इस साक्षी के अभिकथन की पुष्टि करते हुए मृतक की मां श्रीमती रामकली बाई ब.सा-2 ने भी अपने अभिकथन में बताया है कि उसका लडका रनवीर आग लगाकर खत्म हो गया, उसके लडके रनवीर सिंह ने घर में घुसकर अपने आग लगा ली, उसके मोडा ने इन लोगों को फंसा दिया, उसने झूठा फंसाया है।

37. न्यायालय के मत में मृतक की मां का विवेचक द्वारा अभियोजन का महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था उसे अभियोजन साक्षी क्यों नहीं बनाया व अनेक सिंह यादव बा.सा-1 जो कि घटना के समय हैण्डपम्प पर पानी भर रहा था, उससे विवेचना के दौरान पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि बचाव साक्षीगण व अभियोजन साक्षीगण के अभिकथन से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मृतक की मां श्रीमती रामकली बाई ने खेडा को जगभान सिंह को विक्रय कर दिया था व रजिस्ट्री करा दी थी। जिस पर से मृतक ने आग लगाकर अभियुक्तगण को फंसा दिया, के तथ्य की पुष्टि बावत मृतक की मां श्रीमती रामकली बाई बा.सा-2 ने अपने अभिकथन से हुई है। बचाव साक्षी के अभिकथन की पुष्टि अभियोजन साक्षी देशराज यादव बा.सा-1, शिवनारायण अ.सा-2, मृतक के भाई रामकुमार यादव अ.सा.-5 के अभिकथन से हुई है।

38. उपरोक्त अभियोजन साक्षी के अभिकथन की पुष्टि डा. संतोष सिंह रघुवंशी अ.सा-6 ने अपने अभिकथन की कंडिका-3 के मध्य में बताया है कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 में यह उल्लेख नहीं किया कि मरीज किस चीज से जला था। जब इसने मरीज का मेडीकल परीक्षण किया था उस समय उसके शरीर में मिट्टी के तेल की गंध नहीं पायी थी। स्वतः कहा कि होती तो इस बात का उल्लेख प्रदर्श पी-14 में करता, के अभिकथन से हुई है।

39. अभियोजन साक्षी डा. सी. एस. जैन अ.सा-11 ने भी अपने अभिकथन की कंडिका-3 में स्पष्ट अभिकथन दिया है कि यह बात सही है कि स्वयं मृतक अपने उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाये इस तरह की चोटें आ सकती हैं व आगे अभिकथन दिया है कि मृतक की हथेलियां जली नहीं थी। यह कहना सही है कि यदि अन्य व्यक्ति ने मृतक को

जलाया होता तो मृतक ने बचाने का प्रयास किया होता इससे उसकी हथेली में जलने की चोट भी आ सकती थी व नहीं भी, इन दोनों साक्षी जो कि चिकित्सक व फोरेंसिक मेडीकोलिगल संस्थान भोपाल के विशेषज्ञ हैं, ने अभिकथन में स्पष्ट बताया है कि यह बात सही है कि स्वयं मृतक अपने उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाये तब इस प्रकार की चोटें आ सकती हैं।

40. डा. संतोष रघुवंशी अ.सा-6 ने आहत के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण करके प्रदर्श पी-14 की रिपोर्ट तैयार की थी। उसी समय आहत सिर्फ चड़्डी पहने था उसे जप्त कर शीलबंद कर पुलिस को सौंप दिया था। जब आहत का चिकित्सक ने चिकित्सकीय परीक्षण किया तब उसने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया कि मरीज किस चीज से जला है। जब इसने मरीज का मेडीकल परीक्षण किया था उस समय उसके शरीर में मिट्टी के तेल की गंध नहीं पायी थी। स्वतः कहा कि होती तो इस बात का उल्लेख प्रदर्श पी-14 में करता। न्यायालय के मत में इस साक्षी के द्वारा आहत की चड़्डी जप्त करके शीलबंद करके पुलिस को सौंप दी थी, उसी को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया था फिर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के फोरेंसिक विशेषज्ञ ने प्रदर्श पी-26 में पॉलीथिन आवरण में कैरोसिन के समान गंधयुक्त एक कपडा(अंडरबीयर) पाया गया। यह कैसे लेख किया गया जबकि चिकित्सक डा. संतोष रघुवंशी अ.सा-6 ने आहत का परीक्षण किया था व चड़्डी जप्त की थी तब कैरोसिन के तेल की गंध उसने नहीं पायी थी और जिस चड़्डी को उसने जप्त किया था जो परीक्षण हेतु भेजे जाने पर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रायोगशाला ने उस पर परीक्षण के दौरान कैरोसिन का तेल पाये जाने का उल्लेख किया है। जिससे स्पष्ट है कि डा. संतोष रघुवंशी अ.सा-6 के कथन पर जो उन्होंने न्यायालय में आकर दिया है उस पर आविश्वास किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत नहीं होता है।

41. जिससे स्पष्ट है कि मिट्टी के तेल डालने से अभियुक्तगण में से किसी ने आग नहीं लगायी थी। मृतक स्वयं मकान की आग बुझाने में जल गया था, के तथ्य की पुष्टि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से हुई है।

42. **धारा 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार** वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि – सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये

थे, जो मर गया है या मिल नहीं समता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है निम्नलिखित दशाओं में स्वयंमेव सुसंगत है :-

43. **जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है** – जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

44. जहाँ अभियोजन का कथानन मृत्यु कालीन कथन से भिन्न हो वहाँ ऐसे कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता (देखिए स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध मदन मोहन, (1989) 3 एस.सी.सी. 390)।

45. न्यायदृष्टांत मुनवर विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी., (2010) 5 एस.सी.सी. 451 के अनुसार पुलिस अधिकारी ने साक्षी के 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये यह कथन पुलिस रेग्युलेशन में मृत्यु कालीन कथन की विधि के अनुसार नहीं लिखे गये थे अतः उन पर भरोसा नहीं किया गया लेकिन दूसरा मृत्यु कालीन कथन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने लेखबद्ध किया था और वह 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों के समान थे उन पर विश्वास किया गया। इस संबंध में न्यायदृष्टांत बालकराम विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी., (1975) 3 एस.सी.सी. 2197 अवलोकनीय है।

46. न्यायदृष्टांत भारत सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी., आई.एल.आर. 2009 एम.पी. 1427 के अनुसार जहाँ एक से अधिक मृत्यु कालीन कथन हों और उसमें कुछ असंगतता हो तब न्यायालय उसके बारे में विचार करेगी कि ऐसी असंगतता तात्त्विक है या नहीं।

47. न्यायदृष्टांत शकुन्तला विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा, 2007 सी.आर.एल.जे. 3747 (एस.सी.) के अनुसार एकमात्र मृत्यु कालीन कथन के आधार पर ही दोषसिद्धि स्थिर की जा सकती है ऐसा कोई निरपेक्ष नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता कि मृत्यु कालीन कथन पर स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि के अभाव में विश्वास नहीं किया जा सकता मृत्यु कालीन कथन विश्वसनीय है या नहीं यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

48. न्यायदृष्टांत स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध सर्वनराम, ए.आई.आर. 2013 एस.सी.

1890 में मृतक का पुलिस ने कथन लिया उसमें उसने आग लगाने वाले का नाम नहीं बताया पड़ोसी को दिये गये कथन में ससुर का नाम बतलाया पड़ोसी के कथन की अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने पुष्टि नहीं कि ऐसा कथन अविश्वसनीय नहीं पाया गया।

49. न्यायदृष्टांत गोपाल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1557 चार न्यायमूर्तिगण की पीठ के अनुसार मृत्यु कालीन कथन में अभियुक्तगण के पूर्ण नाम व पते नहीं थे जो उनकी पहचान सुनिश्चित कर सके अन्य कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं थी ऐसे कथनों के आधार पर दोषसिद्धि स्थिर नहीं की जा सकती।

50. न्यायदृष्टांत रमाकांत मिश्रा विरुद्ध स्टेट ऑफ़ यू.पी. (2015) 8 एस.सी.सी. 299 के मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब एक व्यक्ति अस्पताल में घायल अवस्था में लाया जाता है तब अस्पताल प्राधिकारियों को उसे मेडिकोलिगन केश की तरह मानना चाहिये और पुलिस को सूचना देना चाहिये अन्वेषण अधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को घटना की सूचना देवे और उन्हें आहूत का परीक्षण करना चाहिये। डॉक्टर का आहूत के स्वास्थ्य दशा में होने का प्रमाण पत्र लेना चाहिये।

51. न्याय दृष्टांत कनवर पाल उर्फ़ सूरज पाल विरुद्ध स्टेट ऑफ़ उत्तराखंड, 2015 (1) क्राइम्स 217 एस.सी. के अनुसार प्रथम सूचना प्रतिवेदन में सभी गवाहों का नाम दर्ज होना विधि की आवश्यकता नहीं है इसका उद्देश्य केवल दांडिक विधि को गति में लाना है।

52. इस मामले में यह भी प्रतिपादित किया गया कि पूर्व वैमनस्य दो धार वाला हथियार है जो असत्य फंसाने का आधार हो सकता है तो अपराध करने का हेतु भी हो सकता है न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्व वैमनस्य के प्रभाव को निर्णीत करती है इस संबंध में न्यायदृष्टांत रुली राम विरुद्ध स्टेट ऑफ़ हरियाणा, (2002) 7 एस.सी. सी. 691 और स्टेट ऑफ़ पंजाब विरुद्ध सुच्चा सिंह, (2003) 3 एस.सी.सी. 153 भी अवलोकनीय है।

53. अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में व उक्त विवेचन के पश्चात मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-16 विधिवत रूप से लेख नहीं किया गया है, के तथ्य की पुष्टि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से हुई है जिससे अभियोजन कहानी को कोई बल नहीं मिलता है।

54. अतः न्यायालय के मत में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य से मृतक द्वारा स्वयं अपने मकान में आग लगा ली थी और बुझाने में उसे आग लग गई थी, जिससे वह जल गया था और जलने से उसकी मृत्यु हुई थी, जो कि आपराधिक मानवबध नहीं किया गया था, के तथ्य की पुष्टि अभिलेख पर आयी साक्ष्य से हुई है।

55. अतः उपरोक्त विचारणीय प्रश्न कि दिनांक 22.06.2014 को सुबह 9 बजे ग्राम बक्सनपुर में फरियादी रनवीर सिंह यादव के मकान पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग से जलाकर शारारिक क्षति कारित की जिसके कारण दिनांक 30.06.2014 को उसकी मृत्यु हुई व मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, कारित करने के आशय से उसके आवासीय भवन में प्रवेश कर आपाधिक गृह अतिचार कारित किया व फरियादी रनवीर सिंह यादव को नुकसान कारित करने के आशय से उसके आवासीय भवन को आग से जलाकर नुकसान कारित कर रिष्टि कारित की एवं रनवीरसिंह को अश्लील गालियां उच्चारित की, जिससे उसे या अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ।

56. अतः उपरोक्त विवेचन के पश्चात अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी अनेकानेक संदेह परे प्रमाणित न हुई होने से अभियुक्तगण को धारा 302, 449, 436, 294 भा.द.वि. के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

57. प्रकरण में जप्तसुदा मुद्देमाल जप्ती मुताबिक अनुपयोगी एवं मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

58. अभियुक्त भगवानसिंह एवं जगभानसिंह न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः उनके जेल वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जावे कि यदि उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो, उन्हें इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जावे व शेष आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.

(आनन्द प्रिय राहुल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर, म.प्र.

//20//

सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2014